सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 20, शुक्रवार, *शाके* 1941–जनवरी 10, 2020 *Pausa 20, Friday, Saka 1941–January 10, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2019

संख्या प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/2017 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर एवं सावित्री बाई फूले कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फ.स.) के घोषित मण्डी क्षेत्र में से पंचायत समिति, तिवंरी व ओसियां का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा पंचायत समिति, लोहावट की ग्राम पंचायते क्रमशः पल्ली, जेरीया, पल्ली प्रथम, भीकमकोर, इन्दो की ढाणी द्वितीय, भियांडियां, इन्दो का बेरा, नौसर एवं पंचायत समिति बापिणी की ग्राम पंचायते क्रमषः रायमलवाडा, कपूरिया, कडवा, बैदूकलां, ओमपुरा, पुनासर खुर्द, बापिणी खुर्द, मोटानिया नगर, मतोड़ा, बापिनी, पूनासर, जाखण, पडासला, निम्बो का तालाब व बेंदू के क्षेत्र को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (अनाज) एवं सावित्री बाई फूले कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फ.स.) के क्षेत्र में पृथक कर अधिसूचित कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय के नियमन हेतु एक नई कृषि उपज मण्डी समिति औसिंया-मथानिया के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव पर जो इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुचेगे, राज्य सरकार द्वारा इन आपतियों एवं सुझावों पर विचार किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लालचन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

2789

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।